

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2024—फाल्गुन 25, शक 1945

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्रमांक आईपीआई/4/0007/2024/बी-ग्यारह: मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन 1973) की धारा 43 को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में-

1/ मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 की विद्यमान अनुसूची के बिन्दु क्रमांक 5(ख)के पश्चात निम्नानुसार (ग) स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी निकाय के द्वारा सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहित, अंतरित अथवा अन्यथा अर्जित किये जाने की स्थिति में, ऐसे किसी अंतरण पर सोसायटी द्वारा अनुज्ञा शुल्क रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) देय होगा।”

2/ विद्यमान प्रारूप छ: की घोषणा के बिन्दु क्रमांक (4) को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नलिखित बिन्दु क्रमांक (4) एवं (5) प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(4) सोसायटी द्वारा स्थावर संपत्ति जिला कलक्टर द्वारा अधिसूचित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य की मार्गदर्शी सूची (गाईड लाईन) के माध्यम से उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित दर से कम दर पर क्रय/ विक्रय नहीं की जाएगी, जिस वर्ष स्थावर सम्पत्ति के क्रय/ विक्रय का संव्यवहार विधिक रूप से सम्पन्न हुआ हो।

(5) यदि कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो हम मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 38 की उप-धारा (2) के अधीन दण्ड के लिए दायी होंगे।”

No. IPI/4/0007/2024/B-11:: in exercise of the powers conferred by section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Society Registrikaran Niyam, 1998, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1/ In the Schedule of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Niyam, 1998, after sub-section 5(B), sub-section 5(C) is inserted, which is as follows:-

“(C) In the event that immovable property of the society is acquired, transferred or otherwise acquired by the Central Government, State Government or any statutory body the society shall pay a fee of Rs. 25,000/- (Rs. Twenty five thousand only) for each transfer.”

2/ The existing clause (4) of the declaration form of form-VI is omitted and the following clauses (4) and (5) to be inserted, which is as follows:-

“(4) The society shall not purchase/ sell immovable property at a rate lower than the rate prescribed for the financial year through the guideline of market value of immovable property notified by the District Collector, in that financial year in which the legal transition of purchase/ sell of immovable property is completed.

(5) If any false information is submitted, then we shall be liable for punishment under sub section (2) of section 38 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhinyam 1973 (No. 44 of 1973).”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिबि चक्रवर्ती, सचिव.